

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

भारी हंगामे के चलते आज भी नहीं चली संसद

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर।

धूतकामुककी में घायल हुए दो भाजपा सांसद आईसीयू पहुँचे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबासाहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर के संदर्भ में की गयी एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के जेरादार हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में आज भी कोई कामकाज नहीं हो पाया और बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। इसके अलावा संसद परिसर में राहुल गांधी की ओर से की गयी धूतकामुककी के दौरान घायल हुए दो भाजपा सांसदों के मुद्दे पर भी विपक्षी दल को जमकर घेरा जा रहा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शुक्ला ने कहा कि अंडिया के प्रताप चंद्र सारंगी (69) और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को रिहाय में चोट लगाने के कारण संसद से अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने कहा, इसारंगी का बहुत खून बह रहा था। उनके माथे पर बाबासाहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वारा के निकट सत्तापक्ष और



तो उनका रक्तचाप काफी बढ़ा हुआ था इह डॉ. शुक्ला ने कहा, राजपूत के सिस में भी चोट लगी जिसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गए। हालांकि, जब संसद को अस्पताल लाया गया तो वह होश देने में थे। उनका रक्तचाप स्तर भी बढ़ दूसरी ओर, दोनों सदनों की कार्यवाही की बात करने तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबासाहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर के संदर्भ में की गयी एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस

और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी मुख्य विपक्षी दल जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा में कोई विधायी कार्य नहीं हो सका तथा बैठक एक बार के स्थगित कर दी गयी। पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन जैसे ही समवेत हुआ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व संसद के ईवीकेएस एलगोवन के निधन के बारे में सूचित किया और उनके राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त उल्लेख किया।

इसके बाद सदन ने कुछ पल भौम रखकर दिवंगत पूर्व संसद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद, जब ने शाह के संबोधन का एक बीड़ियों अंश भी जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कठाक टिप्पणी से जुड़ा विषय सदन में उठाने का प्रयास करते हुए हंगामा किया, जबकि सत्तापक्ष के

सदस्यों ने भी मुख्य विपक्षी दल पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रतिवाद किया। भारी हंगामे के कारण बिरला ने पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने ह्याभरत के संविधान की 75 वीं की गैरवशाली यात्रालंबित पर राज्यसभा में दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार का अपनाया। यह विपक्षी दल अपनाया था। आरएसएल अस्पताल के द्वारा नीतिक जीवन का दैरा न लिया जाए। केरल, 19 दिसम्बर।

केरल उच्च न्यायालय ने त्रिवेणीको देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंडला-मकर विलाकू, तीर्थयात्रा के दौरान एवाथवलम (पड़ाव बिंदु) पर अन्नधानम का लाभ उठाने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने एक श्रद्धांजलि की शिकायत के बाद यह निर्देश जारी किया। शिकायत में तीर्थयात्रा के दौरान टीडीबी के तहत आने वाले मर्दियों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने टीडीबी और देवस्वओम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि तीर्थयात्रा के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत एवाथवलम और अन्य मर्दियों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को शौचालय, अन्नधानम आदि जैसी उचित मर्दियों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने टीडीबी और देवस्वओम आयुक्त को यह लिया जाएगा।

